छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति एवं
माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील क्रमांक: 1272/2002

धरमपाल पटेल

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

विचारार्थ आदेश।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
आर. एस. शर्मा
न्यायमूर्ति

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूँ ।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

आदेश की उद्घोषणा के लिए सूचीबद्ध करें। दिनाँक: 07-09-2011

सही/-
आर. एस. शर्मा
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

<u>युगलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति एवं</u>
<u>माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्ति</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक: 1272/2002</u>

अपीलार्थी धरमपाल पटेल, पिता – कन्हैया पटेल, उम्र - लगभग 28 वर्ष, व्यवसाय – कृषक, निवासी – चरोदा बस्ती, थाना भिलाई-3, तहसील एवं जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उपस्थित:-</u> अपीलार्थी की ओर से – श्री वाई. सी. शर्मा एवं श्री संजीव वर्मा, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से – श्री रविन्द्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता।

(भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374(2) के अधीन प्रस्तुत दाण्डिक अपील)

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 07 सितम्बर, 2011 को उद्घोषित)

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्ति द्वारा:

1. यह अपील, विशेष न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 77/2002 में पारित दिनांक 05 दिसम्बर, 2002 के निर्णय के

विरुद्ध दायर की गई है। आक्षेपित निर्णय के द्वारा अपीलार्थी धरमपाल पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 एवं 449 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है तथा उसे क्रमशः आजीवन कारावास एवं 1,000/- रुपये के जुर्माने, जुर्माना का भुगतान न करने करने पर उसे अतिरिक्त 1 वर्ष का सश्रम कारावास, 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं—

राजेश मेश्राम (अ.सा.-9), उसकी पत्नी अर्चना मेश्राम (मृतका) तथा उनकी लगभग 6 वर्ष की पुत्री कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) एक साथ एक मकान में निवास करते थे। दिनांक 25.02.2002 को लगभग दोपहर 1.30 बजे, जब मृतका तथा उसकी पुत्री कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) घर के अंदर थीं, तब अपीलार्थी घर के पीछे की ओर से वहाँ आया और घर के एक कमरे में रखी अलमारी को खोलने का प्रयास करने लगा। जब मृतका ने अपीलार्थी को देखा, तो उसने चाकू से मृतका तथा उसकी पुत्री कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) पर हमला किया तथा तत्पश्चात छत के रास्ते फरार हो गया। मृतका ने प्राप्त चोटों के कारण दम तोड़ दिया। जब राजेश मेश्राम (अ.सा.-9) घर पहुँचा, तो उसने पाया कि घर अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया, किंतु दरवाजा नहीं खोला गया। तब उसने पड़ोस के एक लड़के से छत के रास्ते घर के अंदर जाकर दरवाजा खोलने को कहा। वह लड़का घर के अंदर गया और दरवाजा खोला। इसके पश्चात राजेश मेश्राम (अ.सा.-9) घर के अंदर गया और उसने अपनी पत्नी अर्चना मेश्राम को खाट पर मृत अवस्था में पड़ा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पाया तथा अपनी पुत्री को घायल अवस्था में पाया। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी-11) दर्ज कराई तथा मर्ग सूचना (प्र.पी-10) भी दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचा, पंचों को सूचना (प्र.पी-12) दी तथा मृतका के मृत्यु समीक्षा पंचनामा (प्र.पी-13) तैयार किया। मृतका के शव को प्र.पी-19 के माध्यम से शव-परीक्षण हेतु शासकीय चिकित्सालय, दुर्ग भेजा गया। शव परीक्षण डॉ. जे.पी. मेश्राम (अ.सा.-1) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपना प्रतिवेदन (प्र.पी-1) प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने पाया— (**i**) बाएँ कलाई पर 7 सेमी × 3 सेमी हड्डी तक गहरी कटी हुई चोट, (**ii**) चोट क्रमांक 1 के ठीक नीचे 5 सेमी × 2 सेमी की कटी हुई चोट, (**iii**) दाहिने गाल पर 5 सेमी × 2 सेमी का खरोंच, (**iv**) दाहिने कान के ठीक पीछे 3 सेमी × 2 सेमी × हड्डी तक गहरी कटी हुई चोट, साथ ही कैरोटिड धमनी छिद्रित पाई गई, तथा (**v**) दाहिने कंडिकाइटल क्षेत्र में 5 सेमी × 2 सेमी हड्डी तक गहरी कटी हुई चोट। चिकित्सक ने अभिमत व्यक्त किया कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उत्पन्न आघात एवं हैमरेज के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई। कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) को भी चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया। डॉ ए.के. मिश्रा (अ.सा.-13) ने उसका परीक्षण किया तथा अपना प्रतिवेदन (प्र.पी-25) प्रस्तुत किया। उन्होंने पाया— (**i**) दाहिनी कंडिकाइटल हड्डी पर 4 सेमी × 1 सेमी हड्डी तक गहरी कटी हुई चोट, (**ii**) दाहिने स्कैपुलर क्षेत्र में 1 सेमी × 0.25 सेमी की सतही कटी हुई चोट, (**iii**) बाएँ स्कैपुलर क्षेत्र में 1 सेमी × 0.25 सेमी × 0.25 सेमी की आड़ी कटी हुई चोट, तथा (**iv**) पीठ पर 1/2 सेमी × 1/2 सेमी का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सतही खरोंच। उन्होंने पाया कि चोट क्रमांक (**i**) से (**iii**) कठोर एवं धारदार हथियार (शस्त्र) से कारित हुई थीं। आगे के उपचार हेतु कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) को चिकित्सालय के शल्य चिकित्सा वार्ड में भर्ती किया गया।

कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) का मृत्युपूर्व कथन दिनांक 25.02.2002 को डॉ. यू.एस. अग्रवाल, नायब तहसीलदार, दुर्ग (अ.सा.-4) द्वारा प्र.पी-5 के माध्यम से अभिलिखित किया गया। आगे की विवेचना में, अपीलार्थी का प्रकटीकरण कथन (प्र.पी- 17) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दिनांक 26.02.2002 को अभिलिखित किया गया तथा उसके कथन के आधार पर चाकू की जप्ती प्र.पी-18 के माध्यम से किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने अंतरण पर प्रकरण को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को सौंपा, जिनके द्वारा विचारण किया गया तथा उपर्युक्तानुसार अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री वाई.सी. शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा केवल कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) को ही प्रत्यक्षदर्शी/आहत साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा उसके परीक्षण के समय उसकी आयु

मात्र 6 वर्ष थी। वह एक बाल साक्षी थी। उसका साक्ष्य पुख्ता और ठोस नहीं है। अतः उसके साक्ष्य के आधार पर किया गया दोषसिद्धि आदेश धारणीय नहीं है।

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् पैनल अधिवक्ता श्री रविन्द्र अग्रवाल ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन ने अपीलार्थी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दिया गया दण्ड, इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना और सत्र प्रकरण के अभिलेख का भी अवलोकन किया। अपीलार्थी की दोषसिद्धि कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) के साक्ष्य पर आधारित है, जिसका साक्ष्य चिकित्सा और अन्य साक्ष्यों द्वारा उचित रूप से पुष्ट है। यह सत्य है कि घटना के समय कु. निधि मेश्राम (अ. सा.-6) केवल 6 वर्ष की थी और उसे बाल साक्षी के रूप में परीक्षण किया गया था। अब हमें यह विचार करना है कि क्या उसके साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि की जा सकती है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. **मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध रमेश एवं अन्य, (2011) 4 एससीसी 786** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है—

> **"**7. **रामेश्वर विरुद्ध राजस्थान राज्य**, एआईआर 1952 एससी 54 : 1952 क्रि एलजे 547 में, इस न्यायालय ने शपथ अधिनियम, 1873 की धारा 5 तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 के प्रावधानों का परीक्षण किया

और यह अवधारित किया कि (एआईआर पृ. 55, कंडिका 7) प्रत्येक साक्षी साक्ष्य देने के लिए सक्षम होता है, जब तक कि न्यायालय यह न माने कि वह उसकी अल्पायु, अत्यधिक वृद्धावस्था, शरीर/तन या बुद्धि/मन की बीमारी अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने या तर्कसंगत उत्तर देने में असमर्थ है। तथ्यात्मक रूप से साक्ष्य देने की क्षमता सदैव मानी जाती है, जब तक कि न्यायालय अन्यथा न माने। न्यायालय ने आगे यह भी निम्नानुसार अवधारित किया — (एआईआर पृ. 56, कंडिका 11)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'11. .... यह वांछनीय है कि न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट को सदैव उनका अभिमत अभिलिखित करना चाहिए कि बाल साक्षी सत्य बोलने के कर्तव्य को समझता है तथा उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वे ऐसा क्यों मानते हैं, अन्यथा साक्षी की विश्वसनीयता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, यहाँ तक कि कुछ मामलों में उसके साक्ष्य को पूर्णतः अस्वीकार करना आवश्यक हो सकता है। तथापि, जब कोई औपचारिक प्रमाणपत्र न हो, मुझे लगता है, तब भी परिस्थितियों से यह जाना जा सकता है कि मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश वास्तव में उस अभिमत के थे।'"

8. मंगू विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, एआईआर 1995 एससी 959 : 1995 क्रि एलजे 1461 में, इस न्यायालय ने बाल साक्षी के साक्ष्य पर विचार करते हुए यह अवलोकन किया कि यद्यपि बाल साक्षी को सिखाए-पढ़ाए जाने

(अनुशिक्षण) की सदैव संभावना रहती है, तथापि मात्र इसी आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बाल साक्षी को अवश्य ही सिखाया-पढ़ाया गया है। न्यायालय को यह निर्धारित करना होता है कि बाल साक्षी को सिखाया-पढ़ाया गया है या नहीं। यह साक्ष्य के परीक्षण तथा उसके कथन की सामग्री से यह परखकर निर्धारित किया जा सकता है कि उसमें किसी प्रकार के सिखाए-पढ़ाए जाने के संकेत विद्यमान हैं अथवा नहीं।

9. पंछी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, (1998) 7 एससीसी 177 : 1998 एससीसी (क्रि.) 1561 : एआईआर 1998 एस.सी. 2726 में, इस न्यायालय ने अपने अनेक पूर्व निर्णयों पर अवलंब लेते हुए यह अवलोकन किया कि बाल साक्षी के साक्ष्य पर अवलंब लेने से पूर्व उसका समुचित पुष्टिकरण होना आवश्यक है। तथापि, यह विधि का नियम न होकर व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का नियम अधिक है। यह अवधारित नहीं किया जा सकता कि—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"बाल साक्षी का साक्ष्य सदैव अपूरणीय रूप से कलंकित माना जाएगा। यह विधि नहीं है कि यदि कोई साक्षी बालक है तो उसका साक्ष्य, चाहे वह विश्वसनीय ही क्यों न पाया जाए, अस्वीकार कर दिया जाए। विधि यह है कि बाल साक्षी के साक्ष्य का अधिक सावधानी एवं विशेष सतर्कता के साथ विवेचन किया जाना चाहिए, क्योंकि बालक दूसरों की कही बातों से आसानी से प्रभावित हो सकता है और इस प्रकार बाल साक्षी को सिखाए-

पढ़ाए जाने का सहज शिकार बनाया जा सकता है।" (एससीसी, पृ. 181, कंडिका 11)

10. निवृत्ति पांडुरंग कोकाटे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (2008) 12 एससीसी 565 :(2009) 1 एससीसी (क्रि.) 454 : एआईआर 2008 एस.सी. 1460 में, इस न्यायालय ने बाल साक्षी के संबंध में विचार करते हुए निम्नानुसार अवलोकन किया है— (एससीसी, पृ. 567-68, कंडिका 10)

"10. .....7..... यह प्रश्न कि क्या बाल साक्षी में पर्याप्त बुद्धि है अथवा नहीं, इसका निर्णय मुख्य रूप से विचारण न्यायाधीश पर निर्भर करता है, जो उसके आचरण, उसकी बुद्धि की स्पष्ट उपस्थिति या उसके अभाव को देखता है। उक्त न्यायाधीश ऐसे किसी भी प्रकार के परीक्षण का सहारा ले सकता है, जिससे बाल साक्षी की क्षमता एवं बुद्धिमत्ता तथा शपथ के दायित्व को समझने की उसकी योग्यता प्रकट हो सके। तथापि, यदि अभिलेख पर सुरक्षित सामग्री से यह स्पष्ट हो जाए कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण था, तो उच्चतर न्यायालय द्वारा उसके निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सकता है। यह सावधानी इसलिए आवश्यक है, क्योंकि बाल साक्षी सिखाए-पढ़ाए जाने के प्रति सहज रूप से प्रभावित होते हैं और प्रायः कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं। यद्यपि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि बाल साक्षी जोखिमपूर्ण/संकटपूर्ण साक्षी होते हैं, क्योंकि वे लचीले होते

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हैं तथा आसानी से प्रभावित, ढाले और मोड़े जा सकते हैं, तथापि यह भी एक स्वीकृत मानक है कि यदि उनके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उसमें सत्यता की छाप है, तो बाल साक्षी के साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है।"

11. बाल साक्षी के साक्ष्य से यह प्रकट होना चाहिए कि वह सही और गलत के बीच अंतर समझने में सक्षम था तथा प्रतिपरीक्षा के दौरान न्यायालय यह भी देख सकता है कि क्या बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य सामने लाया गया है, जिससे यह संकेत मिले कि बाल साक्षी सही और गलत में भेद नहीं कर सकता था। न्यायालय उससे प्रश्न पूछकर उसकी साक्षी के रूप में उपयुक्तता का निर्धारण कर सकता है और भले ही ऐसे प्रश्न न भी पूछे गए हों, तब भी उसके साक्ष्य से यह जाना जा सकता है कि वह अपने कथनों के निहितार्थ को पूर्णतः समझता था अथवा नहीं तथा क्या वह कठोर प्रतिपरीक्षा का सामना करते हुए अविश्वसनीय सिद्ध हुआ। बाल साक्षी को शपथ पर साक्ष्य देने की पवित्रता तथा उससे पूछे गए प्रश्नों के महत्व को समझने में सक्षम होना चाहिए। (देखें— हिम्मत सुखदेव वहुरवाघ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (2009) 6 एससीसी 712)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध कृष्णा मास्टर, (2010) 12 एससीसी 324 : (2011) 1 एससीसी (क्रि.) 381 : एआईआर 2010 एससी 3071 में, इस

न्यायालय ने यह अवधारित किया कि विधि का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि अल्पायु का बालक अपने स्मरण में संचित तथ्यों को पुनः प्रस्तुत करने में असमर्थ होगा। बालक अपने जीवन में घटित असामान्य घटनाओं को ग्रहण करने में सदैव सक्षम होता है और ऐसी घटनाओं को वह जीवन भर नहीं भूलता। भविष्य में जब उससे उन घटनाओं के संबंध में पूछा जाए, तो वह उन्हें सावधानीपूर्वक एवं यथार्थ रूप से पुनः प्रस्तुत कर सकता है। यदि बाल साक्षी अपराध से संबंधित प्रासंगिक घटनाओं का वर्णन बिना किसी सुधार या अलंकरण के करता है और उसका कथन न्यायालय का विश्वास उत्पन्न करता है, तो उसके साक्ष्य के लिए किसी प्रकार के पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं होती। अल्पायु का बालक किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष या दुर्भावना रखने में असमर्थ होता है। अतः अभिलेख पर ऐसा कुछ होना आवश्यक है, जिससे न्यायालय संतुष्ट हो सके कि घटना की तिथि और बाल साक्षी के साक्ष्य के अभिलेखन के मध्य ऐसा कुछ घटित हुआ, जिसके कारण साक्षी ने अभियुक्त को किसी गंभीर प्रकृति के अपराध में झूठा फँसाने की इच्छा प्रकट की हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **मोहम्मद कलाम विरुद्ध बिहार राज्य, (2008) 7 एससीसी 257** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

"7. पंछी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, (1998) 7 एससीसी 177 में, इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन किया गया कि बाल साक्षी के साक्ष्य को एकदम/सिरे से

अस्वीकार/खारिज नहीं किया जा सकता, किंतु उसके साक्ष्य का सावधानीपूर्वक तथा अधिक सतर्कता के साथ मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि बालक दूसरों की कही बातों से आसानी से प्रभावित हो सकता है और इस प्रकार बाल साक्षी को सिखाए-पढ़ाए जाने का सहज शिकार बनाया जा सकता है। न्यायालय को यह आकलन करना होता है कि न्यायालय के समक्ष दिया गया पीड़िता का कथन उसकी स्वेच्छा की अभिव्यक्ति है तथा वह किसी अन्य के प्रभाव में नहीं थी।"

8. कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना वाले दिन लगभग दोपहर 12 बजे वह अपने घर में सो रही थी। उसका भाई ट्यूशन गया हुआ था, उसके पिता अपने काम पर गए थे तथा उसकी माँ बिस्तर पर सो रही थी। अभियुक्त का घर उनके घर से तीन घर छोड़कर स्थित था। अभियुक्त कोई काम-धंधा नहीं करता था तथा चोरी के कार्य में लिप्त रहता था। उसी दिन अभियुक्त ने चाकू से उस पर तथा उसकी माँ पर हमला किया। अभियुक्त ने उसकी माँ के हाथ एवं सिर पर चाकू से वार किए। चाकू से किए गए हमले के कारण वह रोने लगी। उसने आगे कथन किया कि जब उसके पिता दोपहर लगभग 3 बजे घर वापस आए, तब उसने उन्हें उक्त घटना की जानकारी दी। अभियुक्त द्वारा उस पर तथा उसकी माँ पर हमला किया गया था। तत्पश्चात वह एवं उसके पिता प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.-11) दर्ज कराने गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. राजेश मेश्राम (अ.सा.-9) ने अपने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि जब वह दोपहर लगभग 3 बजे अपने काम से वापस अपने घर लौटा, तब उसने पाया कि उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया तथा डोरबेल (दरवाजे की घंटी) भी बजाई, किंतु दरवाजा नहीं खोला गया। तत्पश्चात उसने एक लड़के, जो अभियुक्त का एक रिश्तेदार है, को घर के पीछे की ओर से कूदकर अंदर प्रवेश करने को कहा। वह लड़का घर के अंदर गया और दरवाजा खोला। जब वह (राजेश मेश्राम) घर के अंदर गया, तब उसने अपनी पत्नी अर्चना (मृतका) को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखा। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके हाथ एवं गर्दन से खून बह रहा था। उसकी पुत्री कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) उसकी पत्नी के शव के पास बैठी हुई थी। कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) के सिर एवं पीठ से भी खून बह रहा था। उसकी पुत्री ने उसे बताया कि अभियुक्त घर में आया था तथा उन पर हमला करने के बाद भाग गया। घर की अलमारी खुली हुई थी। प्रति परीक्षण में उसने कथन किया कि पुलिस ने उसी घटना वाले दिन को उसका कथन दर्ज किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) ने अपने पिता के घर पहुँचते ही तुरंत घटना का विवरण उन्हें बताया तथा उसके पिता राजेश मेश्राम (अ.सा.-9) द्वारा तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.-11) दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.-11) में उल्लेख है कि जब राजेश मेश्राम (अ.सा.-9) घर के अंदर प्रवेश किए, तब उन्होंने अपनी पत्नी अर्चना (मृतका) को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखा। उसकी मृत्यु हो चुकी

थी। उसके हाथ एवं गर्दन से खून बह रहा था। उनकी पुत्री कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) अपनी माँ के शव के पास बैठी हुई थी। कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) के सिर एवं पीठ से भी खून बह रहा था। उनकी पुत्री ने उन्हें बताया कि अभियुक्त घर में आया था तथा उन पर हमला करने के बाद फरार हो गया।

11. उपरोक्त साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 6 के अंतर्गत ग्राह्य है। **सुखर विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, (1999) 9 एससीसी 507** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकित किया है कि यह सामान्य नियम का एक अपवाद है, जिसके अंतर्गत सामान्यतः श्रुतसाक्ष्य ग्राह्य नहीं होता। तथापि, ऐसा साक्ष्य लगभग समकालीन होना चाहिए तथा उसके मध्य ऐसा कोई अंतराल नहीं होना चाहिए जिससे साक्ष्य गढ़ने की संभावना उत्पन्न हो सके। अतः जिसे अनिर्णीत विषय का भाग मानकर ग्राह्य किया जाना है, वह कथन संबंधित कृत्यों के साथ समकालीन रूप से या उनके तुरंत पश्चात किया गया होना चाहिए। इस सिद्धांत का सार यह है कि कोई तथ्य, भले ही वह विवाद्यक न हो, किंतु यदि वह विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार जुड़ा हुआ हो कि **"उसी लेन-देन का भाग"** बनता हो, तो वह स्वतः ही सुसंगत हो जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. वर्तमान प्रकरण में, डॉ. यू.एस. अग्रवाल, नायब-तहसीलदार (अ.सा.-4) ने अपने साक्ष्य में कथन किया कि उन्होंने दिनांक 25-02-2002 को कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) का कथन प्र.पी.-5 के माध्यम से दर्ज किया था। कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) ने भी अपने साक्ष्य में कथन किया कि उसका कथन चिकित्सालय में

प्र.पी.-5 के माध्यम से दर्ज किया गया था। इससे प्रतीत होता है कि कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) का कथन डॉ. यू.एस. अग्रवाल, नायब-तहसीलदार (अ.सा.-4) द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत प्र.पी.-5 के माध्यम से दर्ज किया गया था। कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) का कथन मृत्युपूर्व कथन के रूप में दर्ज किया गया था, किंतु वह जीवित रही। अतः उसका कथन मृत्युपूर्व कथन नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज कथन की तुलना में श्रेष्ठतर गुणवत्ता/उच्च कोटि साक्ष्य के रूप में माना जाना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. **रंजीत सिंह एवं अन्य विरुद्ध राज्य मध्य प्रदेश, एआईआर 2011 एससी 255** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"23. सुनील कुमार एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1997 एससी 940 में इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया तथा अवधारित किया:

"..... कि तुरंत बाद अ.सा.-1, आहत साक्षी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया और उसका कथन मृत्युपूर्व कथन के रूप में दर्ज किया गया, जो उसके जीवित बच जाने के परिणामस्वरूप केवल <u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज कथन के रूप में ही माना जाएगा</u> तथा उसका उपयोग पुष्टिकरण अथवा खंडन के लिए किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध प्रथम अवसर पर दर्ज किया गया यह कथन अभियोजन के मामले

के मूल आधार को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है, जिसमें अपीलकर्ताओं के नाम हमलावरों के रूप में सम्मिलित हैं, तथा अभिलेख पर ऐसा कोई भी सूक्ष्म प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह दर्शाया जा सके कि यह कथन किसी प्रकार से सिखाए-पढ़ाए जाने का परिणाम था। इसके विपरीत, यह कथन उस समय किया गया था जब अ.सा.-1 की स्थिति अत्यंत गंभीर थी और यह विश्वास करना कठिन है कि वह वास्तविक अपराधियों/दोषियों को छोड़कर अपीलार्थीगण को झूठा फँसाएगा। .....कि केवल कुछ नगण्य एवं असंगत विरोधाभास थे, जो उसकी साक्ष्य को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, चिकित्सकों की साक्ष्य उसके घटना-विवरण का पूर्ण रूप से समर्थन करती है।'"

(बल दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. मकसूदन एवं अन्य विरुद्ध राज्य उत्तर प्रदेश, एआईआर 1983 एस.सी. 126 में इस न्यायालय ने समान प्रकृति के एक प्रश्न पर विचार किया, जिसमें एक व्यक्ति ने मृत्यु की आशंका में अपना कथन किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। न्यायालय ने यह अवधारित किया कि ऐसा कथन मृत्युपूर्व कथन नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है (आगे "अधिनियम, 1872" कहा गया है), बल्कि उसे अधिनियम, 1872 की धारा 157 के अंतर्गत व्यवहार में लाया जाना था, जिसके अनुसार किसी साक्षी का पूर्व

कथन उसी तथ्य के संबंध में उसकी पश्चातवर्ती साक्ष्य के पुष्टिकरण हेतु सिद्ध किया जा सकता है।

इसी प्रकार का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा रामप्रसाद विरुद्ध राज्य महाराष्ट्र,एआईआर 1999 एससी 1969 में पुनः दोहराया गया है, जिसमें न्यायालय ने यह अवधारित किया:

"जो भी हो, प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय उसे किसी प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में मान सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 यह अनुमति देती है कि किसी साक्षी द्वारा उसी तथ्य के संबंध में किसी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष किया गया कोई भी पूर्व कथन, जो तथ्य की जाँच करने के लिए विधिक रूप से सक्षम हो, सिद्ध किया जा सकता है, किंतु उसका उपयोग केवल उस साक्षी की साक्ष्य के पुष्टिकरण तक ही सीमित है। यद्यपि पुलिस अधिकारी तथ्य की जाँच करने के लिए विधिक रूप से सक्षम होता है, तथापि जाँच के दौरान उसके समक्ष किया गया कोई भी कथन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 में निहित स्पष्ट निषेध के कारण, किसी साक्षी की साक्ष्य के पुष्टिकरण हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता। किंतु मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया कथन उक्त धारा में निहित निषेध से प्रभावित नहीं होता। मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति का कथन दर्ज कर सकता है और ऐसा कथन या तो बाद में कथनकर्ता की मृत्यु हो जाने पर धारा 32 की स्थिति प्राप्त कर सकता है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अथवा अपनी मूल प्रकृति में ही बना रहता है। मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 के अंतर्गत दर्ज किया गया कथन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अनुसार साक्षी के पुष्टिकरण हेतु अथवा धारा 155 के अनुसार उसके खंडन हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।"

25. इस सिद्धांत को जेंटेला विजयवर्धन राव एवं अन्य विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य, एआईआर 1996 एससी 2791 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध वीर सिंह एवं अन्य, एआईआर 2004 एससी 4614 में भी पुनः दोहराया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतः उपर्युक्त के आलोक में यह सुरक्षित रूप से अवधारित किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में इस प्रकार दर्ज किया गया कथन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज कथन की तुलना में श्रेष्ठतर गुणवत्ता/उच्च कोटि साक्ष्य माना जाएगा तथा उसका प्रयोग जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 157 के प्रावधानों में प्रदत्त है के अनुसार किया जा सकता है।

14. डॉ. ए.के. मिश्रा (अ.सा.-13) ने अपने साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 25-02-2002 को अपराह्न 3:45 बजे उन्होंने कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) का चिकित्सीय परीक्षण किया तथा (**i**) दाहिनी पैराइटल हड्डी पर 4 सेमी × 1 सेमी × हड्डी तक गहरी कटी हुई चोट, (**ii**) दाहिने स्कैपुलर क्षेत्र में 1 सेमी × 0.25 सेमी की सतही

कटी हुई चोट, (**iii**) बाएँ स्कैपुलर क्षेत्र में 1 सेमी × 0.25 सेमी × 0.25 सेमी की अनुप्रस्थ कटी हुई चोट तथा (**iv**) पीठ पर 12 सेमी × 2 सेमी की सतही खरोंच पाया। उन्होंने आगे साक्ष्य में कथन किया कि चोट क्रमांक (**i**) से (**iii**) किसी कठोर एवं धारदार हथियार से उत्पन्न हुई थीं तथा लगभग 6 वर्ष आयु की कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) को चिकित्सालय के शल्य चिकित्सा वार्ड में भर्ती किया गया था। उनकी चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्र.पी.-25 है।

15. एन. हरिहरनो, निरीक्षक (अ.सा.-12) ने अपने साक्ष्य में कथन किया कि उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अंतर्गत अभियुक्त का कथन दर्ज किया था। अभियुक्त के कथन के आधार पर उन्होंने मोतीलाल (अ.सा.-10) के कुएँ से चाकू जप्त किया, जिसकी जप्ती प्र.पी.-18 के माध्यम से की गई। मोतीलाल (अ.सा.-10) ने भी अपने साक्ष्य में कथन किया कि अभियुक्त का प्रकटीकरण कथन पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था तथा अभियुक्त के बताने पर पुलिस ने उसके कुएँ से चाकू जप्त किया, जिसकी जप्ती प्र.पी.-18 के माध्यम से की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. हमने कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) तथा राजेश मेश्राम (अ.सा.-9) की साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) ने स्पष्ट रूप से साक्ष्य में कथन किया है कि घटना वाले दिन अभियुक्त उसके घर में घुसा और उसने उस पर तथा उसकी माता अर्चना मेश्राम (मृतका) पर चाकू से हमला किया। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) का अभियुक्त को झूठा फँसाने का कोई भी हेतुक नहीं था। उसका कथन निर्णायक एवं निश्चयात्मक है।

17. समस्त साक्ष्यों के सम्यक् विवेचन के उपरांत हम यह पाते हैं कि साक्षी कु. निधि मेश्राम (अ.सा.-6) जो एक चक्षुदर्शी साक्षी है के साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है तथा उसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है, और इसलिए बाल साक्षी (कु. निधि मेश्राम–अ.सा.-6) के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने संबंधी विद्वान विशेष न्यायाधीश का निष्कर्ष इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रखता।

18. उपर्युक्त कारणों से, हमें इस अपील में कोई सार नहीं दिखाई देता, जो ख़ारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार ख़ारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही/-
आर. एस. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Prashant Kumar